भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 827**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 7 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

कृषि उत्पादों का आयात/निर्यात

827. श्री एम. **के. राघवनः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत से कृषि उत्पादों के आयात और निर्यात संबंधी वार्ता में संशोधन करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह पाया है कि विभिन्न व्यापार समझौतों के परिणामस्वरूप केरल के किसान गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो केरल के किसानों के उत्पादों के आयात और निर्यात के हितों का ध्यान रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) भारतीय किसानों के हितों को नुकसान पहुँचाने वाले कतिपय कृषि उत्पादों के आयात शुल्क में वृद्धि होने से रोकने के लिए कौन-से समझौते किए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) भारत से कृषि उत्पादों के आयात और निर्यात संबंधी वार्ता विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय मंचों और व्यापार समझौता वार्ता का एक हिस्सा है। भागीदार देशों के लिए विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए शुल्क रियायतों/बाज़ार पहुंच पर वार्ता करते समय, घरेलू उत्पादन और उत्पादकों के हितों को हमेशा ध्यान में रखा जाता है।

(ग) से (ड.) इसके अलावा, वाणिज्य विभाग को विभिन्न व्यापार समझौतों के परिणामस्वरूप केरल के किसानों को संकट का सामना करने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। सरकार केरल सहित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक वैधानिक संगठन , कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का अधिदेश है। एपीडा अपनी निर्यात संवर्धन योजना के विभिन्न घटकों के तहत निर्यातकों को सहायता प्रदान कर रहा है।

वाणिज्य विभाग बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए),चाय बोर्ड,कॉफी बोर्ड,मसाला बोर्ड आदि की निर्यात संवर्धन योजनाओं के माध्यम से कृषि उत्पादों के निर्यातों सहित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इसके अलावा, किसानों, किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और निर्यातकों के साथ बातचीत करने के लिए सहकारी समितियों को एक मंच प्रदान करने के लिए एक किसान कनेक्ट पोर्टल विकसित किया गया है। निर्यात-बाज़ार संपर्क प्रदान करने के लिए समूहों में क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित की जाती हैं। निर्यात के अवसरों का आकलन करने और उनका लाभ उठाने के लिए, विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियमित बातचीत की जाती है। भारतीय मिशनों के माध्यम से देश-विशिष्ट बीएसएम भी आयोजित किए जाते हैं।

कृषि उत्पादों के आयात पर भारत द्वारा लगाई जा सकने वाली अधिकतम आयात शुल्क दरें (बाध्य दरें) टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (जीएटीटी) के तहत तय की गई हैं। आयात शुल्कों की लागू दरें आमतौर पर निर्धारित दरों से काफी कम होती हैं और यदि आवश्यक हो, तो भारतीय किसानों के हितों की रक्षा के लिए लागू दरों को बढ़ाने की पर्याप्त गुंजाइश है।

***